



# सोनभद्र पुलिस



प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 25.06.2026

- थाना चोपन व एसओजी टीम को मिली बड़ी सफलता-
- अन्तर्राज्यीय गांजा तस्करी गिरोह का सफल अनावरण, 02 अभियुक्त गिरफ्तार-
- 01 क्विंटल 42 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा, 02 कार, 01 फर्जी नम्बर प्लेट, 02 मोबाइल फोन एवं नकदी बरामद (कुल अनुमानित कीमत लगभग 01 करोड़ रुपये)-

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रणधीर मिश्रा के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक चोपन श्री गोपाल जी गुप्ता के कुशल नेतृत्व में थाना चोपन पुलिस एवं एसओजी टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना चोपन पुलिस द्वारा अन्तर्राज्यीय गांजा तस्करी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

## • घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.06.2026 को थाना चोपन पुलिस मीतापुर क्षेत्र में कानून-व्यवस्था ड्यूटी में मौजूद थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि दो कारों में भारी मात्रा में अवैध गांजा लादकर चोपन की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना पर थाना चोपन पुलिस, चौकी डाला पुलिस एवं एसओजी टीम द्वारा संयुक्त रूप से चोपन बैरियर पर सघन वाहन चेकिंग प्रारम्भ की गई। चेकिंग के दौरान शक्तिनगर-वाराणसी मार्ग पर डाला की ओर से एक इनोवा कार एवं एक स्विफ्ट कार तेज गति से आती दिखाई दीं। पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास करने पर दोनों वाहन चालक वाहन लेकर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर गांधी आश्रम के सामने सलखन क्षेत्र में दोनों वाहनों को रोक लिया गया। तलाशी के दौरान दोनों वाहनों से प्लास्टिक की 05 बोरियों में रखा कुल 01 क्विंटल 42 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। साथ ही एक फर्जी नम्बर प्लेट, 02 मोबाइल फोन एवं नकदी भी बरामद की गई। मौके से 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक अन्य अभियुक्त मौके का लाभ उठाकर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी हेतु आवश्यक प्रयास किये जा रहे हैं।

## • कृत कार्यवाही-

बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना चोपन पर मु0अ0सं0- 247/2026 धारा 8/20/27A/29/60 एनडीपीएस एक्ट तथा धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(3), 61(2)(ख) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। बरामद अवैध गांजा, वाहन, मोबाइल फोन, नकदी एवं फर्जी नम्बर प्लेट को पुलिस कब्जे में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## • पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि वे रायबरेली निवासी अपने सहयोगी ऋषभ सिंह उर्फ आदित्य उर्फ अंकुश के साथ उड़ीसा से अवैध गांजा लाकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आपूर्ति करते थे। गांजा परिवहन के बदले उन्हें अच्छी रकम प्राप्त होती थी। अभियुक्तों ने

बताया कि वे उड़ीसा से गांजा लाकर रायबरेली एवं आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करते थे तथा तस्करी में प्रयुक्त वाहनों के स्वामियों को भी इसके बदले किराया दिया जाता था।

#### **• गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-**

1. नाम: मो. जावेद

पिता का नाम: मो. अमीन खाँ

उम्र: 37 वर्ष

निवासी: ग्राम बरगदी मगठ, थाना बक्सी का तालाब, जनपद लखनऊ।

2. नाम: अनुज कुमार मौर्य

पिता का नाम: रामसरोहन मौर्य

उम्र: 26 वर्ष

निवासी: ग्राम टिकरा, थाना गुरुबक्शगंज, जनपद रायबरेली।

#### **बरामदगी का विवरण-**

1. प्लास्टिक की 05 बोरियों में कुल 01 क्विंटल 42 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा (अनुमानित कीमत लगभग 72 लाख रुपये)।

2. एक अदद इनोवा कार संख्या UP32FN0333

3. एक अदद स्विफ्ट कार संख्या UP32NL2927

4. एक अदद फर्जी नम्बर प्लेट संख्या OD02AD2200

5. 02 अदद मोबाइल फोन

6. ₹900/- नगदा

(कुल अनुमानित कीमत लगभग 01 करोड़ रुपये)

#### **• आपराधिक इतिहास का विवरण (अभियुक्त अनुज कुमार मौर्य)-**

1. मु0अ0सं0- 76/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना मुंशीगंज, जनपद अमेठी।

2. मु0अ0सं0- 946/2019 धारा 411, 413, 414, 419, 420 भादवि, थाना कोतवाली नगर, जनपद रायबरेली।

3. मु0अ0सं0- 950/2019 धारा 379, 411 भादवि, थाना कोतवाली नगर, जनपद रायबरेली।

4. मु0अ0सं0- 16/2020 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना कोतवाली नगर, जनपद रायबरेली।

#### **• गिरफ्तार/अनावरण करने वाली पुलिस टीम-**

1. प्रभारी निरीक्षक गोपाल जी गुप्ता, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।

2. प्रभारी एसओजी श्री नागेश कुमार सिंह मय टीम, जनपद सोनभद्र।

3. व0उ0नि0 मनोज सिंह, उ0नि0 रामज्ञान सिंह यादव, उ0नि0 अभयनाथ यादव, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।

4. उ0नि0 घनश्याम तिवारी, चौकी प्रभारी डाला, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।

5. हे0का0 विरेन्द्र कुमार सरोज, हे0का0 शिवप्रताप यादव, हे0का0 सीताराम यादव, हे0का0 शिवशरण बिन्द, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।

6. का0 मन्टु सिंह, का0 शिवम सरोज, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।

**सोनभद्र पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सतत जारी है।**